

RELEASE OF TWO MEMBERS FROM DETENTION

Mr. Deputy-Speaker : I have to inform the House that I have received the following letter dated the 14th February, 1956 from the Chief Justice, High Court of Judicature, Orissa, Cuttack :

"We have to inform you that His Highness Maharaja Rajendra Narayan Singh Deo and Shri Saran-gadhar Das, Members of the House of the People were arrested on a charge under Section 188, 1 P.C. and were detained in Cuttack jail under orders of the Sub-Divisional Magistrate, Cuttack. On a petition made to this Court under Art. 226 of the Constitution of India in O.J.C. No. 25, of 1956 by the said members, the Court after hearing the same, have been pleased to direct their release unconditionally on the 13th February, 1956."

MOTION ON ADDRESS BY THE PRESIDENT

Mr. Deputy-Speaker : The Lok Sabha will now take up the debate on the President's Address. Before I call upon Shri Bhagwat Jha Azad to move his motion of thanks to the President, I have to announce that under Rule 21, I fix the time limit for speeches. It shall not ordinarily exceed 15 minutes with the exception that for the leaders of groups 30 minutes or a few minutes more may be allowed and the Prime Minister who, I think, will reply to the debate on behalf of Government may, of course, take a longer time.

श्री भागवत झा आजाद (पुनिया व संथाल परगना) : १५ फरवरी, १९५६ को राष्ट्रपति जी ने संसद सदस्योंके समक्ष जो अभिभाषण दिया उस के लिये हम सभी सदस्य उनके बहुत कृतज्ञ हैं और इस सम्बन्ध में मैं सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव रखना चाहता हूँ :

"इस सत्र में आये हुये लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति जी द्वारा १५ फरवरी, १९५६ को एक साथ समवेत् संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण के लिये उन के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।"

इस का अंग्रेजी तर्जुमा इस प्रकार है :

"That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament assembled together on 15th February, 1956."

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपतिजी ने अपने भाषण में हमारी सरकार की नीति के दो पहलुओं पर प्रकाश डाला है । मैं उन की विषय व्याख्या करूंगा, लेकिन जब मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आये हुए संशोधनों को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य मालूम होता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई विषयकोष होना चाहिये या सरकार की मुख्य मुख्य नीतियों का संकेत मात्र ? जितने संशोधन इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आये हैं उन का उल्लेख मैं बाद में करूंगा । राष्ट्रपतिजी ने अपने भाषण में हमें यह बताया है कि गत वर्ष हमारी सरकार ने अपने सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप आशातीत सफलता पाई है साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले अनुभवों के आधारपर वर्तमान वर्ष में सभी घटनाओं का हमें साहस, धैर्य तथा पूर्ण प्रयत्न के साथ सामना करना चाहिये । अगर हम ध्यानपूर्वक अपनी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों की देखें तो हमें पता लगेगा की सरकार की धरेलू एवं वैदेशिक नीतियां बहुत सफल हो रही है ।

राष्ट्रपति जी ने कहा है :

"भारतीय जनता और संसद सकारण विगत वर्ष के प्रयत्नों और सफलताओं को संतोष तथा सतर्क आशा के साथ देख सकते हैं ।"

मेरी राय में लोकसभा के प्रायः सभी सदस्य राष्ट्रपति जी के इस आशयपूर्ण एवं उत्साहवर्द्धक संदेश से सहमत होंगे । उन्होंने यह बतलाया है कि हमारी वैदेशिक नीति क्या है । इस के ऊपर प्रकाश डालने का भार मैं अपने समर्थक श्री रामस्वामी पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं यह कहने का लोभ नहीं रोक सकता कि हमारी वैदेशिक नीति पूर्णतया सफल रही है । हमारी विदेश नीति का लक्ष्य यह है कि संसार में शांति कायम रहे और शांति में बाधा डालनेवाले जितने कारण हैं वे सभी दूर हों । साथ ही साथ पंच शील के आधार पर हमारे देश के सम्बन्ध और देशों के साथ पूर्ण रूप से विकसित हों और फूलें फूलें ।